उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील सं0 06/2020–21

श्याम सुन्दर यादव..अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार...उत्तरकारी।

आदेश

23.11.2021

यह अधिहरण वाद प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिरहण वाद सं0–63/2019 में पारित आदेश दिनांक–11.12.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तरकारी सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कैराबनी–जरमुण्डी मुख्य पथ पर ग्राम–पतसरा के पास से वन कर्मियों द्वारा हरे रंग का जॉन डियर ट्रेक्टर सह ट्रेलर ईजन नं0–PY3029D455194, चेचिस सं0– IVY5036DAJA003467 पर बरगद एवं पीपल प्रजाति के कुल 16 बोटा लकड़ी लोड पाया। पूछ–ताछ करने पर वन कर्मियों को पता चला कि ट्रेक्टर सह ट्रेलर श्याम सुन्दर यादव, पिता–स्व0 नागेश्वर यादव ग्राम–कटेली पो0–जराटीकर थाना–जरमुण्डी, जिला–दुमका का है। उनके द्वारा वन अपराध की पुष्टि होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 41 एवं 42 के उल्लघंन में इसी अधिनियम की धारा–52 के तहत् उक्त जॉन डियर ट्रेक्टर सह ट्रेलर पर लदे बरगद एवं पीपल प्रजाति के 16 बोटा लकड़ी को जप्त कर हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र कार्यालय के प्रागंन दुमका में सुरक्षित रखा गया तथा जप्ती सूची, मापी सूची, एवं जुर्म प्रतिवेदन सं0–13 दिनांक–18.12.2019 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका को समर्पित किया गया। तत्पश्चात् वन क्षेत्र पदाधिकारी हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र दुमका के अनुरोध पर उक्त जब्त वाहन तथा उस पर लदे बरगद एवं पीपल प्रजाति के कुल 16 बोटा लकड़ी पर राज्यसात की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अपीलकर्त्ता श्याम सुन्दर यादव पिता–स्व0 नागेश्वर यादव सा0

कटेली थाना–जरमुण्डी को कारण पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा अपने कारण पृच्छा में कहा है कि जप्त ट्रक्टर सह ट्रेलर में मौजा सिंघनी के ग्राम प्रधान चुड़ामन राउत द्वारा उनके जमीन जमाबंदी सं0–1 दाग सं0–462 में स्थित पीपल एवं बरगद का लकड़ी था। जो आँधी से गिर गया था। उस लकड़ी को गाँव के मंदिर में लागाना था। मौजा सिंघनी के सुरेन्द्र राउत पिता–स्व0 चुड़ामन राउत द्वारा भी शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि जप्त लकड़ी जमाबंदी नं0–1 पर स्थित पीपल एवं बरगद के डाली का है जो आँधी से गिरकर सड़क को अवरूद्ध कर दिया था। उस पेड़ की डाली को काटकर छोटा–छोटा टुकड़ा बनाकर सड़क जाम से मुक्त किया गया उनके पिता द्वारा छोटे टुकड़े को उस ट्रेक्टर से जरमुण्डी मिल ले जाने को कह थे तथा उक्त लकड़ी को बेचकर काली मंदिर में दान देने के बात कही थी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त ट्रेक्टर पर लदे बरगद एवं पीपल प्रजाति के कुल–16 वोटा लकड़ी को अवैध परिवहन करने के वन अपराध में संलिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है किन्तु जप्त लकड़ी कहॉ काटा गया था तथा ट्रैक्टर द्वरा कहॉ से लोड कर लाया जा रहा था ? क्या वास्तव में यह लकड़ी प्रधान के जमाबंदी सं0–1 की जमीन की थी अथवा नहीं ?

इन बिन्दुओं के संबंध में आदेश पर उल्लेख नहीं है। इन बिन्दुओं पर जाँचोपरांत ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अभिलेख को पुनः वन प्रमण्डल पदाधिकारी को Remand back करते हुए आदेश दिया जाता है कि इन बिन्दुओ पर जाँच एवं सुनवाई कर अभिलेख प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर नैसर्गिक निर्णय के सिद्धांत के आलोक में नियमानुसार आदेश पारित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.08 13:09:32 +05:30
Location: 169.254.227.244